मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्र./एफ/1517/4-01/2020/नियम/चार   भोपाल, दिनांक 28/नवम्बर/2020

प्रति,

अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मंत्रालय भोपाल
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाध्यक्ष
मध्यप्रदेश

विषय :- मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों हेतु विशेष नगद पैकेज योजना का क्रियान्वयन।

***

मध्यप्रदेश राज्य में आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने एवं कोविड-19 की आपदा के परिदृश्य में उपभोक्ता खपत को बढ़ाये जाने के उदेश्य से मध्यप्रदेश शासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिये निम्नलिखित निर्णय लिये जा चुके हैं:-

(1) 7वें वेतनमान के एरियर्स की तृतीय किश्त के 25 प्रतिशत का भुगतान

(2) विशेष त्यौहार पैकेज के अंतर्गत रूपये 10000 का अग्रिम योजना (40000 रूपये या इस से कम कुल वेतन पाने वाले शासकीय सेवकों के लिये)

2. राज्य शासन द्वारा इसी अनुक्रम में अब एक और निर्णय लिया गया है कि शासकीय सेवकों के लिये विशेष नगद पैकेज की योजना को प्रदेश में लागू किया जाये।

3. शासकीय सेवकों के लिये विशेष नगद पैकेज योजना निम्नानुसार क्रियान्वित की जायेगी:-

(i). **पात्रता :** राज्य शासन के नियमित, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले शासकीय सेवक।

(ii) **प्रतिपूर्ति की अधिकतम पात्रता :** निम्न तालिका के कॉलम 2 में उल्लेखित राशि के 3 गुना राशि की सामग्री/सेवायें क्रय करने पर प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी:-

शासकीय सेवक की श्रेणी	**विशेष नगद पैकेज (राशि रूपये में)**
1	2
प्रथम एवं द्वितीय	4000
तृतीय	3000
चतुर्थ	2000

(iii) **क्रय की शर्तें :** पंजीकृत जीएसटी वेण्डर/सेवा प्रदाता से 12 प्रतिशत या अधिक जीएसटी दर के अंतर्गत आने वाली सामग्री/सेवायें जिनका डिजिटल पेमेन्ट किया गया हो।

(iv) **प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं गणना :** शासकीय सेवक उपरोक्तानुसार पात्र सामग्री/सेवायें का क्रय कर उसका देयक तथा डिजिटल पेमेंट का प्रमाण, कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करेगा। देयक अनुसार क्रय की सकल राशि का एक तिहाई अथवा उपरोक्त कंडिका (ii) में पात्रता राशि, जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी।

(v) **प्रतिपूर्ति हेतु दावे** के समर्थन में प्रस्तुत देयक में जीएसटी नंबर एवं जीएसटी भुगतान अंकित हो।

(vi) **योजना की अवधि :** आदेश जारी दिनांक से 31.03.2021 तक। योजनांतर्गत प्रतिपूर्ति हेतु दावा 30.04.2021 तक कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(vii) **स्वीकृतकर्ता अधिकारी :** कार्यालय प्रमुख।

(viii) **व्यय शीर्ष :** वेतन उद्देश्य शीर्ष अंतर्गत विस्तृत शीर्ष 008-अन्य भत्ते

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

28/11/2020

(अखिल कुमार वर्मा)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

पृष्ठां.क्र.एफ/1518/4-01/2020/नियम/चार भोपाल,दिनांक28/नवम्बर/2020

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेशविधानसभा, भोपाल
3. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालयभोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
8. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
9. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय भोपाल
10. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
11. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
12. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
13. अध्यक्ष, कर्मचारी आयोग, 31 गोमन्तिका परिसर, जवाहर चौक भोपाल
14. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ
15. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश
16. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी मध्यप्रदेश
17. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के अधिकारी (स्थायी सूची अनुसार)
18. सहायक संचालक/प्रोग्रामर, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, मंत्रालय भोपाल
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

28/11/2020

(विवेक कुमार घारू)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, वित्त विभाग